

卷之三

*पृथम नियंत्रित के सम्प्रय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20। १९

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **विष्णुलक्ष्मण भट्टवार**..... 2. वर्तमान धारित पद

بِرْزَانْجَانْ

3. वर्तमान बेतन . ३०५००) अगली बेतनवृद्धि की तारीख .. १०.८.२०२० ..

सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे							
उस जिले उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो		गृह तथा अन्य भवन भूमि		बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकोंय कर्मचारी से क्या संबंध है		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकोंय कर्मचारी से क्या संबंध है	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अलग गोपाल तालुक मुम्बई	१०।०००	५००५	५००५	५००५	५००५	५००५	५००५

हास्यर

— Sam —

जहां लाग न हो काट दीजिए।

ऐसे मानते हैं जोड़ो मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां बर्तमान स्थिति के सद्व्यवहार में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

इसमें अल्पकालीन प्रदर्श भी सामिल है।
टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आमरप) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तुरीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने नी अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अर्थवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर प्रदर्श या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल समति के ब्यौदे।

卷之三

四

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2010

2. वर्तमान धारित पद 31.12.2019 तक 31.12.2019
31.12.2019 तक 1.1.2019 से 31.12.2019

१. अधिकारी कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो (गोपनीय बाबू)

3. वर्तमान बेतन ७०५००/- अगली बेतानवृद्धि की तारीख १०.८.२०२०.....

सम्पति का नाम तथा औरे							
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पति स्थित हो	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पटटा, बंधक, विवासत, भट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा और	सम्पति से वार्षिक आय	अधिकृति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला - अगला तालुका - देवरु - देवरु (पुराना) - २ क्षेत्रफल	गोपनीय भू- २००५ (पुराना) क्षेत्रफल	— भूमि	२००५ लाख १५०००	१५०१२ १५००० आविष्करण ग्रन्थालय	—	—	—

हस्ताक्षर

नाम
स्वामी रामेश
पद
उपर्युक्त

卷之三

जहां लागू न हो काट दीजिए।
ऐसे मानते में जहां मूल्य का सही निधरण करना संभव न हो, वहां बर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बरताया जाए।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम टिप्पणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थानिक की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके पारिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौदे हैं।

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, कर्ष-20 (1-1-19 ते 31-12-19)

- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो एमटु आना 2. वर्तमान धारित पद खट्टेनोड्डुर

3. वर्तमान बेतन 60900 + D.A. ... अगली बेतनवृद्धि की तारीख ३० लाइ, २०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा और		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया तथा अर्जित की गई हो उसका नाम तथा और	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	सम्पत्ति का नाम तथा और	गृह तथा अन्य भवन					
<u>नगरपाली, कोल्हार</u> <u>रोड, अंगार</u>	<u>ग्राम</u>	<u>-</u>	<u>32 लाख</u>	<u>नवां वी नाना</u> <u>(19x40)फैट्ट</u>	<u>कोपड़े १,२५,५००/- एवं उच्चज्ञवाला हाईग्राउंड फ्लॉनेंस शाल लिंग चै निलाल, २००१ के लिए मिया। बैंक, लोन, अप्रिय पिताजी, सलुर वी नाना (वांग वी बाल ली के लिया।</u>	<u>NIL</u>	<u>कुल वी अप्रिय</u> <u>प्री ली</u>

हस्ताक्षर Dhamodhar

नाम एमटु आना

पद खट्टेनोड्डुर

विभाग झाझकोम उद्धव नगा लोहो भारत

शोकमुभो—१२६—अससाप्रावि—२२-१०-०९—१५,०००.

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे भागते जहां जहां मूल्य का सही-सही निधरिण करता संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगाभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी समिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, १९५९ के नियम १८(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थानित तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विभासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बारे दें।

शोकमुभो—१२६—अससाप्रावि—२२-१०-०९—१५,०००.

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 रुपये १११९ दे १११२१९

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो (अंगठा) अनलमवा,

२. वर्तमान धारित पद मुख्य पद.

३. वर्तमान वेतन ५१०८०/- P.M. अगली बेतनवृद्धि की तारीख ०१.०७.२०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा प्राप्ति का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे		श्रीमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया भैंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अजेन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	आधिकारि
	(1)	(2)						

* जहाँ लाग न हो काट दीजिए।
** ऐसे मानते में जहाँ मूल्य का सही-सही निधरिण करता संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सद्वर्थ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पहुँच भी समीक्षित है।
टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आज्ञायण) नियम, १९५९ के तियम १४(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा आर्जित अधिकारी उसे विरासत में मिली या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़दे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अन्तर्गत समाति के ब्यौरे है।

शाकेमुखी—१२६—असासप्रदि—२२-१०-०९—१५,०००.

हस्ताक्षर *C. M. S.*
नाम (अंगठा) अनलमवा
पद मुख्य पद
विभाग शा. मुख्य तथा लोक
— मामूल ए. प्र. शास्त्रात्

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, चर्ष 20/19

- अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो आचल १५०४८.....
- वर्तमान धारित पद
- वर्तमान बेतन . १६,१९०/-... अगली बेतनवृद्धि की तारीख

3. वर्तमान बेतन . १६,१९०/-... अगली बेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यह स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया था भट्ट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तरीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<u>वृ-७ श्रीमद्भूत निलामी तिलक नगर, लोहाला</u>	<u>इलामी</u>	<u>-</u>	<u>५० एकड़ी</u>	<u>३०००००</u>	<u>३०००००</u>	<u>३०००००</u>	<u>८०८</u>	<u>---</u>
<u>मा० १०००००</u>	<u>३५ एकड़ी</u>	<u>५०००००</u>	<u>३५०००००</u>	<u>३५०००००</u>	<u>३५०००००</u>	<u>३५०००००</u>	<u>८०८</u>	<u>---</u>

हस्ताक्षर

नाम आचलनं विश्वामित्रं,

पद

विभाग आज्ञा युक्ता लंबां लोहाला लाला

- * जहां लाला न हो काट दीजिए।
 - ** ऐसे मामते में जहां मूल्य का मही-मही निधारण करना संभव न हो, वहां चर्टमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 - *** इसमें अल्पकालीन पद्धति भी समिलित है।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आदरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीनों की अवधि के पश्चात् वह अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अिंजेत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके परिवार के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़ते या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे है।

शाकेमुग्गी—१२६—असम्प्रवि—२२-१०-०९—१५,०००.

१२६ २८-१-२०

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019 (१-१-२०१९ से ३१-१२-२०१९ तक इकाई)

- आधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : रामा श्रीष्ठ लंबर्ग
- वर्तमान धारित पद : सहाय्यक

3. वर्तमान वेतन : रुपये ५६,१८०/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख : अक्टूबर २०२०

सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे	उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिकृति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
जिला कर्मान टड़पुत्र-डुर्घा कालाहुल गढ़	आगरा लोट्टा	—	गाड़ी लोट्टा उत्तरार	(बड़ी गढ़ी गाड़ी) वर्षी (पर्वी)	रुपरेखा गाड़ी वर्षी १९९५ स्कॉर्टी रुपरेखी गोमुख लिंग लीलाच	— रुपरेखा गाड़ी वर्षी लिंग लीलाच	१५०० रुपरेखा गाड़ी रुपरेखा गाड़ी वर्षी लिंग लीलाच	अधिकृति

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे यामले में जहां मूल्य का सही-सही निधरण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अत्यन्तकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम १८(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सरत्य से यह उसमें वर्तमान वार्ष की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके वार्ष प्रत्येक वार्ष महीने की अपाने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरों दे।

四

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल मध्यस्ति का विवरण, वर्ष 20 ई १७

30

२. वर्तमान धारित पद

卷之三

२३८ द्वितीय अंक

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा और	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरापत, मेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तरीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निधरण करना संभव न हो, वहाँ बर्तमान स्थिति के सद्वर्ध में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अधिकांश के पश्चात् यह घोषणा पर भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थानित की तथा उसके द्वारा आजित अथवा उसे विसरास्त में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यापे दे।

शाकेम्भो—१२६—अस्साप्रवि—२२-१०-०९—१५,०००.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 ।।

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... दिनांक—राहांश्चा 2. कर्तमान धारित पद सहाय्यक निर्देशक वर्ष 2।

3. कर्तमान वेतन 45,300/- अगली बेतनवृद्धि की तारीख ०१-०७-२०२०.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य रु. ५५५०००००/-	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सासाकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे दिस प्रकार अंजित किया गया ***खरीद, पटड़ा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अंजन की तारीख और जिससे अंजित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्त

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मानते हैं जहाँ मूल्य का सही-सही निधारण करना संभव न हो, वहाँ चर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पद्धते भी समिलत हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सूची में हीषणीय के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बात प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंजित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़ते या बधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

राकेमुमो—१२६—अससाप्रावि—२२-१०-०९-१५,००.

नाम दिनांक—राहांश्चा
पद सहाय्यक नियुक्ति वर्ष २।

विभागीय कुमाऊँ लोहांगन सामर्थ्य
क्र. प. झोतामु,

फार्म

***प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अंशुल भट्ट नौजा..... 2. वर्तमान धारित पद अंशुल भट्ट नौजा-II.....

3. वर्तमान वेतन 148,150/-..... आगली वेतनवृद्धि की तारीख 11-7-2020.....

सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे	उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	*कर्तमान मूल्य	यह स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया भेट या अन्य किसी प्रकार से सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<u>E/2 अंशुल भट्ट</u> <u>नौजा</u>	<u>मुमार</u>	<u>—</u>	<u>इलाहाबाद नौजा</u>	<u>1125 एकड़ी</u>	<u>(१) ३० फैट २० फैट २० फैट</u> <u>(२) २० फैट २० फैट २० फैट</u> <u>(३) २० फैट २० फैट २० फैट</u> <u>(४) ३० फैट १२० फैट २० फैट</u> <u>(५) १०० फैट १०० फैट २० फैट</u> <u>(६) १०० फैट १०० फैट २० फैट</u> <u>(७) १०० फैट १०० फैट २० फैट</u> <u>(८) १०० फैट १०० फैट २० फैट</u>	<u>(१) ३० फैट २० फैट २० फैट</u> <u>(२) २० फैट २० फैट २० फैट</u> <u>(३) २० फैट २० फैट २० फैट</u> <u>(४) ३० फैट १२० फैट २० फैट</u> <u>(५) १०० फैट १०० फैट २० फैट</u> <u>(६) १०० फैट १०० फैट २० फैट</u> <u>(७) १०० फैट १०० फैट २० फैट</u> <u>(८) १०० फैट १०० फैट २० फैट</u>	<u>हस्ताक्षर.....</u> <u>नाम.....</u> <u>पद.....</u> <u>विभाग.....</u>	<u>—</u>

जहां लागे न हो काट दीजिए।
ऐसे भाग तेरे जहां मूल्य का सही-सही निधरण करना संभव न हो, वहां चर्चान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

ऐसे भाग तेरे जहां मूल्य का सही-सही निधरण करना संभव न हो, वहां चर्चान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

इसमें अल्पकालीन पद्धते भी सम्भालते हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह उसमें वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और आपेक्षित है कि वह सेवा नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंगत अथवा उसे विभासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़ते या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे है।

शोकमुम्भे—926—असमाप्ति—22-10-09—15,000.

फार्म

*प्रथम नियक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019 (१-१-१९ से ३१-१२-२०१९ तक)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह होकरीनहीं रोल रानीराज

2. वर्तमान धारित पद रु. ५०,०००/-

3. वर्तमान बेतन C. # १०२/१०३/१०७ अगली बेतनवहिल की तारीख ।।-७-२०२०

सम्पत्ति का नाम तथा व्याप्रे	भूमि	यदि ख्यांके नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका साक्षोत्तर कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया था **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्याप्रे
(1)	(2)	(3)	(4)
गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	(5)
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो			(6)
			(7)
			(8)

1- लगानी - माला, ३१०२५.५
तट - कुजर, डिला, शोपाल, सरदियां, शहर - A, ३१०२५.
- २३४

CENT
 25×40
२५ घर

लगानी, १५०२०

L.I.C. के लिए
८९ रुपये
नाता भूमि

१००

-

2- लगानी - माला, ३१०२५.५
कुलाड़, रुप, शोपाल, सरदियां, शहर - A, ३१०२५.
- २३४

कुलाड़

लगानी, १५०२०

रुप
नाम पर

L.I.C. के लिए
८९ रुपये
नाता भूमि

-

हस्ताक्षर

नाम : श्रीमिती नगर सोलन राजा २१९

पद : डॉ. नीरु - २

विधा नामक द्वारा ग्राम नाम

पर

शाकेमुखी - १२६ - असमप्रदि - २२-१०-०९ - १५,०००.

29-01-2020

* जहां लागू हो काट दीर्जए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निधिरिण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सर्वर्थ में लगानी मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पतर भी समीक्षित है।
**** इसमें अल्पतर भी समीक्षित है। नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सत्त्यमें यह अनुमति है कि वह सेवा में होली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वर्ष महीने की अवधि के प्रत्येक वर्ष में यह शोषण-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अवधि उसके बाद प्रत्येक वर्ष में यह उसके प्रतिवार के किसी सदस्य के नाम पर या उसके द्वारा धारित समात अन्यत समात के लिए दें।

उसके अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़े या लेखक पर उसके द्वारा धारित समात अन्यत समात के लिए दें।

पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़े या लेखक पर उसके द्वारा धारित समात अन्यत समात के लिए दें।

七

*पृथम नियमित के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

१. अधिकारी कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ~~अधिकारी~~ ~~कर्मचारी~~ ~~एवं योगी~~

३

नाम-स्त्रीपति-देवा देवा ॥३॥

जहाँ लागू न हो काट दो जाए।
परं प्राप्ति में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ बत्तमात रिस्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
इसमें अतिथकालीन पद्धते भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणीः मध्यप्रदेश शासनकोष सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम १८(३) के अधीन प्रथम-श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा दूतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह

अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्यक्ष वर्ग में भवान का अधिक वर्ग तक पहुँच सके। इसके द्वारा अंजित अथवा उसे विसरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पहुँच सकते हैं।

शाकेमुभो—926—अस्साप्रवि—22-10-09—15,000.

卷之三

*प्रथम नियुक्ति के समय अवृत्त सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019 (दिनांक 1-1-19 तक 31-12-19 तक)

1. ओंधकारी/कम्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो **श्री गति लक्ष्यग लंगन**..... 2. बत्तमान धारित
दीया अमृता लिंगिक वरदी
 3. बत्तमान वेतन . 1.15 लैंडर/-..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख . 1-7-2020.....

28-1-20

नाम हस्ताक्षर K. B. Deo

परे संदाता एवं नियमानुसार संग्रहीत किया गया है।

जहां लागू न हो काट दीजए।
ऐसे यामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां बर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

इसमें अत्यकालीन पट्टे भी समीलित हैं।
टिप्पणी: मध्यप्रदेश सासाकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तुरीय श्रेणी सेवकों अधिकृत है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-प्रसंग उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंजीत अथवा उसे विरासत में मिला या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धरित समस्त अचल सम्पत्ति के छोरे हैं।

फलार्ने

*पृथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, चर्छ 2019

2. वर्तमान धारित पद

नाम अंकित
नाम अंकित

3. वर्तमान वेतन ₹. ५०००/- रुपयः... आलो बेतनवृद्धि की तारीख ... १०७.२०२०...

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें वह हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यापे							
	सम्पत्ति का नाम तथा व्यापे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सासाक्षीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	सम्पत्ति से वार्षिक आय	आधिकारी
प्रिया माठुला परा २२०५ ८५०८८)	१८८	-	२१५१७ ८५५८	२१५१७ ८५५८	प्रिया राजा तथा व्यापा	प्रिया राजा तथा व्यापा	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही निधारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सचिव (आचरण) नियम, १९५७ के नियम १४(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तीर्तीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंजित अथवा उसे विराम में मिली या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बौरे दे।

राकेमुझे—१९२६—असाप्रवि—२२-१०-०९—१५,०००.

हस्ताक्षर
नाम नारायण राजा
पर ८५६८ ग्रा-२
विभाग व्यापा व्यापा ८५५८
राजा व्यापा व्यापा ८५५८

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019 से 31-12-2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : आर्जी ०८५०८५१०

2. वर्तमान धारित पद अधिकारी III

3. वर्तमान बेतन रुपये ४८,७००/- अगली बेतनवृद्धि की तारीख ३० मार्च, २०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे		ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका आसकोय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अद्वितीय ग्राह ऐसी खरीद, पद्धति, बंधक, विवाह, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तीख और जिससे अद्वितीय हो उसका नाम तथा व्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिकृति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<u>आर्जी, झुजुर,</u> <u>मैलिलपुरा,</u>	<u>Flat</u>	<u>रुपये ०८०</u>	<u>रुपये १५,००,०००/-</u>	<u>रुपये २०१६-१९९७</u>	<u>रुपये २,००,०००/-</u>	<u>रुपये ०१६-१९९७</u>	<u>रुपये २५,०००/-</u>	<u>रुपये ५००/-</u>	<u>रुपये ५००/-</u>

हस्ताक्षर

रुपये ४८,७००/-

नाम

आर्जी ०८५०८५१०

पद

अधिकारी III

विभाग

विभाग अधिकारी

मात्र

रुपये ४८,७००/-

* जहां लाए न हो काट दीजिए।
** ऐसे मानते हैं जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अत्यन्तकालीन पट्टे भी सामालत हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी की अवधि के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीनों की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र कर प्रसुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अन्तिम अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे है।

शाकेन्दुभो—९२६—असाप्रवि—२२-१०-०९—१५,०००.

फार्म

*पृथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. औंधकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो— श्रीमद् लक्ष्मी एवं देवी

3. वर्तमान वेतन ₹ 350/- ~P.M. अगली बेतनवृद्धि की तारीख, L.T.R.-2020.

उपजिल्ले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	सम्पत्ति से वार्षिक आय	आधिकारी/कर्मचारी का नाम पर न हो तो ग्रह तथा अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जित की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
लक्ष्मी नगर अनुप्रयाग	श्री लक्ष्मी नगर अनुप्रयाग	लक्ष्मी नगर अनुप्रयाग	भूमि	रु 1500/-	रु 1500/-	रु 1500/-	रु 1500/-	

* जहाँ लाग न हो काट दीजिए।
** ऐसे भागों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ बर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पालान पट्टे भी समिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम अंशों में द्वितीय श्रेणी तथा तीसरी श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह चोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थानिक की तथा उसके द्वारा अंजित अथवा उसके विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे है।

राजेश्वरी—926—असाप्रति—22-10-09—15,000.

हस्ताक्षर ... 2020
नाम श्रीमद् लक्ष्मी नगर
पद लक्ष्मी नगर
विभाग श्रीमद् लक्ष्मी नगर
लोकशिवी—मन्दिर—ठोपाल 7

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (प्रा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **सुनीता लोलोडे** (नियुक्त क्रमांक २, वर्तमान धारित पद **सेहायक कंट्रोलर** कंट्रोलर एवं III.....

3. वर्तमान बेतन **५५,८००/-** अगली बेतनबद्ध की तारीख **०१-०७-२०२०**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे		**दर्तमान मूल्य रुपयोग कर्मचारी से	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका रासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया तथा अर्जित की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
							(8)

प्रकाशन नं. २६९
आधिकारी लिङ्ग
जून - ३
प्राप्ति कर्ता का नाम
गृहस्थीत - कुमुदी
प्रियला कोपाल

रुपयोग २६,००,०००/-
रुपयोग

दर्तमान २५-०७-२०१८
दर्तमान २५-०७-२०१८
दर्तमान २५-०७-२०१८
दर्तमान २५-०७-२०१८
दर्तमान २५-०७-२०१८

हस्ताक्षर **१५/८**

नाम **सुनीता लोलोडे**
 पद **सेहायक कंट्रोलर** कंट्रोलर एवं III.....
 विभाग **कार्यालय नियुक्ति अधिकारी**
क्रमांक १५-०७-२०१८

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मानते हैं जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां बहीमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, १९५९ के नियम १८(३) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरापत्त में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

फार्म

*पूर्थम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, चर्ष 2019
2. वर्तमान धारित पद प्रबन्धक लेडर लाइन

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अंगोक एव्हार प्रबन्धक लेडर लाइन

3. वर्तमान बेतन ३२५०० - १०३६०७ अगली बेतनवृद्धि की तारीख जूलाई २०१९

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर		ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	पद स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया था एवं किसी प्रकार से खट या अन्य किससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिग्रहित
	(1)	(2)								
<u>२०१९ वर्षान्त तारीख</u> <u>२०१९ वर्षान्त तारीख</u>	<u>२५</u>	<u>२५५५०</u> <u>२५५०,०००</u>				<u>आरबीपी लैन्ड एवं कॉर्प कॉम्प्लेक्स वाहन निवास नॉले विलेज लॉन्ड</u>	<u>आरबीपी लैन्ड एवं कॉर्प कॉम्प्लेक्स वाहन निवास नॉले विलेज लॉन्ड</u>	<u>१०००</u>		

हस्ताक्षर

- * जहां लाग न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निधंरण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लाभमा मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अतिकालीन पट्टे भी सीमित हैं।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-नियम पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अपवा या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बैधक पर उसके द्वारा भारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे है।

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, चर्ष 20 (विना/नं/ ११-२०१७) ८-१२-२०१७ (त)

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरु) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीरामभट्टा-चाहौरा

३. वर्तमान बेतन राशि पर ५१,०००/- आली बेतनबुद्धि की तारीख ३।-७-२०२०

उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्याप्रे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	

५१०००

हस्ताक्षर

Shrikhande

नाम

श्रीरामभट्टा-चाहौरा

पर

श्रावणी-२१३, रुद्रांगा त्रिलोक

विभागीय ग्राम पंचायत, रुद्रांगा त्रिलोक

- * जहां लागू न हो काट दीजए।
- ** ऐसे मानते में जहां मूल्य का सही-सही निधरण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लागभा मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी समीक्षित हैं।
- **** इसमें अधिकारी/कर्मचारी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह विषयपूर्ण : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, १९५९ के नियम १४(३) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तीव्रीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीनों की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंजित अधिकारी उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवतान सम्पत्ति के ब्यांरे हैं।

शान्तिमुमो—१२२६—असाप्रवि—२२-१०-०९—१५,०००.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

2. वर्तमान धारित पद २२०३०५००५—३

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **अधिकारी शंख या पवार**

3. वर्तमान बेतन **११,०००/-** अगली बेतनवृद्धि की तारीख **२०२०**

सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका क्या संबंध है		उसे किस प्रकार अर्जित किया गया था	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया था	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्त
	उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अोपालन बुवाड़	ग्रह	भूमि	रुपय	१५,५०,०००	—	—
प्रातिकरण दर्हा रुपी	१६४.५०	—	—	—	—	—
बांडीरी - चूड़ा - १	रुपी	—	—	—	—	—
सीन्हर सीधा पुपाली	—	—	—	—	—	—
प्राप्ति हल्का ल० ५	—	—	—	—	—	—
तहसील हुखर लोन	—	—	—	—	—	—
बीवाल	—	—	—	—	—	—

हस्ताक्षर

नाम **शंख या पवार**

पद **राजनीति**
विभाग **नियुक्ति**, तुम्हारा लोक संघ
संसदी, रा. क. अप०

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागभग मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अन्यकालीन पट्टे भी सामिल हैं।

टिप्पणी : नियम प्रदेश शासकीय सेवक (आवारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपीक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वार्ष महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अध्ययन पत्र के किसी सदस्य के नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़दें या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अन्य सम्पत्ति के ब्यारे दें।

साकेतुपुरी—१२६—असाप्रविव—२२-१०-०९—१५,०००.

Date - ५-२-२०२०

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो चौंडीनगरी पालनपालन

3. वर्तमान वेतन ५,२०,००/- + १०% A. आतली वेतनबढ़ि की तारीख १-७-२०२०.....

सम्पत्ति का नाम तथा व्यारे उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यारे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सासकीय कर्मचारी से संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पटटा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तरीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम	सम्पत्ति से वापिक आय	अधिग्रहित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ज्ञान अंगी लुल - श्रीलंका	लुल	—	३१०५५०/- १२,५०,०००/-	— २०५०/- २० मन्त्री वृक्ष एवं वृक्ष गोनाला	२०५०/- २०५०/- २०५०/- २०५०/-	—	—
लुल - श्रीलंका	लुल	—	३१०५५०/- १२,५०,०००/-	३१०५५०/- (१०%) ३१०५५०/- २०५०/- २०५०/- २०५०/-	२०५०/- २०५०/- २०५०/- २०५०/-	—	—

हस्ताक्षर

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मानते हैं जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव नहीं, वहां वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पटटे भी समिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवश्यक) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटटे या बांधक पर उसके द्वारा धारित समास्त अचल सम्पत्ति के ब्यारे दे।

राकेशमुंगे—१२६—असासाप्राप्ति—२२-१०-०९-१५,००.

卷之三

*पश्चिम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारीकर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

3. वर्तमान बेतन 38.5.00 + 1 अगली बेतनवृद्धि की तारीख 17.12.2024

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पति स्थित हो	सम्पति का नाम तथा व्यौरे						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
गुह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरिद, पट्टा, बेंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	सम्पति से वार्षिक आय	आभ्युक्ति	
भूमि	—	उपलेख	रावण की वस्त्राल	—	—	—	
—	—	गुह	अंकुर द्वारा लिखा	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	

जहां लागू न हो करत दीजे।
ऐसे मास्ते में जहां मूल्य का सही-सही निधरण करना संभव न हो, वहां बहमान स्थिति के सदर्श में लगभग मूल्य बतालाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पद्धते भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम औणी द्वितीय औणी सेवा के प्रत्येक सदर्श से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वारह महीने की अवधि के प्रश्नात वह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्तरामत्त की तरफ उसके द्वारा आंजित अथवा उसे विवासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पढ़े या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़े या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बारे दे।

शाकेमुझो—१२६—अस्साप्रवि—२२-१०-०९—१५,०००.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

०१ जनवरी २०१९ से ३१ दिसंबर २०१९

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो—चन्द्रकुमार शर्मा

2. वर्तमान धारित पद संपत्ति विभाग ३.....

3. वर्तमान वेतन २५५०० ५५,५००/- अपाली वेतनबद्ध की तारीख ०१-०८-२०२०

सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरा	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया था या अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	सम्पत्ति से चार्जिक आय	अधिवृत्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>मंडान र. I. ०४</u> <u>पर्वतनगरी पाटी</u> <u>कालीनी अशोक</u> <u>गाँडीज नगर</u> <u>गोपाल (नगर)</u>	<u>मंडान</u> <u>(मंडान)</u>	—	<u>Rs. १७,००,०००/-</u> <u>(P.S. SevenTeen Lac.) Only</u>	<u>स्वयं</u> <u>S.P.F. अर्ज</u>	<u>१८</u> <u>१८</u>	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अत्यन्तकालीन पदटे भी समीक्षित हैं।
टिप्पणी : भव्यादेश राजकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अर्थात् है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के प्रत्यात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़ते या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बारे में।

हस्ताक्षर 30-01-2020
नाम चन्द्रकुमार शर्मा

पद संपत्ति विभाग

विभाग शासकीय प्रत्यक्ष नाम तथा विभाग
कालीनी अशोक (नगर)

四

*पृथम नियंत्रित के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 फ़िट

1. अधिकारी/कमचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेबा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमद्भूति श्रीमद्भूति
 2. वर्तमान धारित पद विद्युत विभाग।
 3. वर्तमान वेतन 36,400/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 31.7.2020 से विद्युत विभाग

୩

हस्ताक्षर . प्र० ल०

326 12414 1924444

विभाग नं ३ नं ५५४

1. *Light blue*

टिप्पणी : मध्यप्रदेश राजस्वकारीय सचिवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवकों की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र उसमें बढ़ उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा आजिंत अथवा उसे विरागित में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवारपत्र में उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के और दे।

卷之三

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, चर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

प्रदीप शर्मा

2. वर्तमान धारित पद

कृष्णनगर

3. वर्तमान वेतन . 35,100/- ₹. 35,100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख . 1.12.2020

सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	पूर्ण	*वर्तमान मूल्य	पूर्ण	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	*वर्तमान मूल्य पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अद्वितीय किया गया	***खरीद, पटदा, बेंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अजित की तारीख और जिससे अद्वित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिग्रहित					

हस्ताक्षर
नाम प्रदीप शर्मा 20.2.20
पद कृष्णनगर
विभाग कृष्णनगर 20.2.20

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे नामते जहां मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पटदे भी समिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र खर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके लक्ष्यात्मक की तथा उसके द्वारा आजित अथवा उसे विरामत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटदे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

राकेशमो—926—अससाप्रवि—22-10-09—15,000.

प्रथम नियक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 (१३नां) ।-।-२०१९ तक ८।।१२।।२०।।९।।

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **प्रतिनिधित्व**.....
2. बर्तमान धारित पद **प्रबन्धालय डी-टी-टी**.....

3. वर्तमान बेतन . 3.3100/- . अगला बेतनवृद्धि की तारीख . 1-7-2020 .

उस जिल्हे, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे						
	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धोरित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

हस्ताक्षर

三

二

一九四

1

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019-20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अन्धकाश कुमार

पंडित

2. वर्तमान धारित पद कालावन्दी

3. वर्तमान वेतन 35,102/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2020.

सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	गृह तथा अन्य भवन भूमि	*वर्तमान मूल्य शासकीय कर्मनात्री से क्या संबंध है	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्त	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>11</i>			<i>11</i>	<i>11</i>			

हस्ताक्षर

*जहां लागू न हो काट दीजिए।
ऐसे भानते में जहां मूल्य का संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सामालित हैं।*

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय संघरक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदर्भ से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्नामित की तथा उसके द्वारा आजिंत अथवा उसे विवाहित में मिली या उसके अपने नाम पर या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बैधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

राकेश्वर—922—असाप्रति—22-10-09—15,000.

四

*प्रथम नियक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण: वर्ष २०१९-२०

1. अधिकारी कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : अद्वितीय दिल्ली प्रशासन तथा विधि विभाग
वर्तमान धारित पद : विद्युत विभाग - डिप्टी एसोसिएट एजेंट
वर्तमान वेतन : 3.21.0.0...... आली बेतनवृद्धि की गारीब प्रति.लाख - 20.20

जहां लागू न हो काट दीजिए।

जहां लागा न हो काट दीजिए।
ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां बर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

इसमें अल्पकालीन पटटे भी सम्मिलित हैं।

गा : प्रधानमंत्री शासकीय सचिवक (आवारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम ब्रेणी द्वितीय ब्रेणी तथा उत्तरीय ब्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यहै जोषणा-पत्र भर कर प्रसुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तभी उसके द्वारा आर्जित अथवा उसे विसरत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पटटे या बैंधक पर उसके द्वारा प्राप्ति समस्त अवल अस्पति के अर्थात है।

शाकेमुझो—926—अससाप्रवि—22-10-09—15,000.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019-20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : (आशा-ओ) लक्ष्मी कुमार

3. वर्तमान वेतन : 2,4,00/- अगली वेतनवृद्धि की तरीख : ०१.०७.२०

सम्पत्ति का नाम तथा व्यापेर उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य		5,50 रुपये	11,000/- रुपये	२,५००/- रुपये	३ नवं बड़ा नाम	पट्टा	पट्टा	१०२०		सम्पत्ति से वार्षिक आय		अधिकारी		
<u>पट्टा श्रीपाल</u>																	

हस्ताक्षर : Shrikant Polwala 27/01/20

नाम : (आशा-ओ) लक्ष्मी कुमार

पर : श्रीपाल २८-३

विभाग : श्रीपाल नद्या लंब समाज

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मानते हैं जहां मूल्य का सही-सही निधारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर्शन में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम हेण्डो, द्वितीय हेण्डो तथा तृतीय हेण्डो सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में फहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थानिक की तथा उसके द्वारा आजित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बारे में

राजेन्द्र मुमो—926—असाप्रवि—22-10-09—15,000.

पार्म

*पूर्थम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, तर्फ़ 20 (5)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **अंगूष्ठ शर्मा**

3. वर्तमान बेतन **२७५०० + ८३** अगली बेतनवृद्धि की तारीख **१०.०५.२०२०**

2. वर्तमान धारित पद **सहाय्यक नियुक्ति**

सम्पत्ति का नाम तथा और उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या सबध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरस्त, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अंजित की गई हो उसका नाम	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				१५१२००			

हस्ताक्षर *[Signature]*
नाम **अंगूष्ठ शर्मा**
पद **सहाय्यक नियुक्ति**
विभाग **नियुक्ति विभाग**
[Signature]
.....

* जहां लाग न हो काट दीजिए।
** ऐसे ग्रामलैंड में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी समीमित हैं।
**** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी समीमित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम-प्रेणी, द्वितीय-प्रेणी तथा तृतीय-प्रेणी सेवा के प्रत्येक वारह महिने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके समय और उसके बाद प्रत्येक वारह महिने की अवधि के पश्चात् यह उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य क्षमित्व की तथा उसके द्वारा अंजित अथवा उसे लियागत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य क्षमित्व के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बारे दे।

पत्रम्

*पृथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

राम सहारपाणी

2. वर्तमन धारित पद

कालांडर ग्राम पंचायती

3. वर्तमन वेतन 33100/- आली वेतनवृद्धि की तारीख 1/4/2020...

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अद्वित दिया गया भूरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तरीख और किससे अद्वित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्त

हस्ताक्षर 15/04/2020.....

नाम राम सहारपाणी

पद कालांडर ग्राम पंचायती

विभाग कालांडर ग्राम पंचायती

संख्या १५३०२०

- * जहा लागू न हो काट दीजिए।
 - ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निधरण करना संभव न हो, वहां वर्तमन स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 - *** इसमें अत्यकालीन पट्टे भी समिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आदारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहर महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-न्तर भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंजित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अन्त सम्पत्ति के व्यौरे दे।

शोकेश्वर—१५२६—असाप्रवि—२२-१०-०९—१५,००.

*प्रथम नियुक्ति के समय अवधि सम्पत्ति का विवरण, पर 2019

(1) अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा करने के जिसमें वह हो दीपक कुमार चाहकार

(2) बारमाल बोल 26200..... (4) उल्लंघन शाहिर पद सदृश्यक ग्रेड-3

(3) बारमाल बोल 26200..... (4) उल्लंघन शाहिर पद सदृश्यक ग्रेड-3

ज्ञ. जिन्हे, उप सचिव तालुक तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति का नाम तथा बोल	बारमाल मूल्य ग्राम स्थान मूल्य	गाँव स्थान के नाम पर बोल हो तो बालाहाड़ी कि या घट तिक्खड़े लान पर आयिए हैं और ज्ञानका सामाजिक विधायियों से दर्या स्थान है।	ज्ञ. जिस प्रकार आजिंत किया गया, एक एक, संक्ष, विधार, में या अन्य किसी प्रकार ऐसे तथा अंगन की तात्परी और जिसके आजिंत की गई हो अस्त्र ग्राम तथा ग्रोप	सम्पत्ति से वारिएक उल्लंघन	अधिकारी
01	02	03	04.	05	06	07
1. ग्राम स्थानीय- आंकड़े शोपाल	-	प्लाट	600000/-	स्थान की व्यापार के क्रम किया	कुछ नहीं	08
2. ग्राम स्थानीय- शोपाल	-	प्लाट	30000/-	स्थान की व्यापार के क्रम किया	कुछ नहीं	

- जहाँ लालू व हो काट बीमित।
- ऐसे मानले में जहाँ मूल्य का सही-सही विधिवा कल्पा संभव न हो, यहां यांगाल लिखते के संदर्भ में लगाया मूल्य बालाहाड़ा जाय।
- झस्कें अल्पकालीन पद्धति भी अनिवार्य है।
- तिप्पणी : अधिकारी विधार 1959 के विधान-18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सामाजिक विधायित हो कि वह ज्ञानके विधायित की तथा उसके द्वारा अंगित अधिकारी विधायित में लियी परिवर्त यह शोपाल पर भव्यता प्रस्तुत करें और उसमें यह जानके सामाजिक विधायित की तथा उसके द्वारा अंगित अधिकारी विधायित में लियी जाए ताकि पर या उसके परिवर्त के लिये अंगित अधिकारी विधायित के नाम पर या पर उसके द्वारा अंगित अधिकारी विधायित के छोड़े हैं।

झस्काल
19-10-2019
लालू :- दीपक कुमार चाहकार
पद :- सदृश्यक ग्रेड-3
विधायित :- नियंत्रक सामाजिक लेखक समिति
एवं प्रकाशन भवन शंख शोपाल

फरम

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, चर्छ 20।

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो । १५८२०८० नं। ३०७

2. वर्तमान धारित पद २८५। नं। ३०७—३१

3. वर्तमान वेतन ३०,३०९६। अगली बेतनवृद्धि की तारीख । ४/७/२०२७।

सम्पत्ति का नाम तथा व्याप्रे	उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो		पूर्ण तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अजित किया गया	सम्पत्ति से भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अजित को तारीख और जिससे अजित की गई हो उसका नाम तथा व्याप्रा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	आधिकारी
	(1)	(2)								

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मानते हैं जहां मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान सम्बन्ध में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, १९५७ के नियम १४(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंजित अधिकार उसे विरामत में मिली या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

राकेमुमो—१२६—असाप्रदि—२२-१०-०९—१५,०००।

हस्ताक्षर । १. वर्तमान
नाम । १५८२०८० नं। ३०७
पद । ३०७—३१
विभाग । ३०७-३१ सं। ३०७

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 (१८नां) १-१-२०१७ से ३१-१२-२०१७ तक

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जिल्हा चारों

3. वर्तमान वेतन १९५०० - ६२००० अगली चेतनवृद्धि की तारीख

सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर	उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें स्थित हो	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यह स्वांक के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया था इस वर्षां में लगभग मूल्य बतलाया जाए।	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	

१९५००

** जहां लाग न हो काट दीजिए।
*** ऐसे मानते हों जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां बर्तमान स्थिति के सन्तर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
**** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी समिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आजरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा आजित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

राकोमुझे—१९२६—असासप्रवि—२२-१०-०९—१५,०००.

हस्ताक्षर जिल्हा चारों
नाम जिल्हा चारों
पद स्थानाधिकारी १९५००-३
विभाग जुलाहा तथा लोखन राजभूमि

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019-20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो— भूमि बन्ते छालाद

2. वर्तमान धारित पद स्पष्टाधिक नेट-रीन

3. वर्तमान वेतन 19,500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यापे		**बर्तमान मूल्य भूमि	चाहि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया भूमि द्वारा अर्जित हो तो तथा अर्जित की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यापे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	आधिकारी का नाम तथा व्यापे
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
— Nil —	— Nil —	— Nil —	— Nil —	— Nil —	— Nil —	— Nil —	— Nil —

हस्ताक्षर

नाम

भूमि बन्ते छालाद
पर स्पष्टाधिक नेट-रीन

विभाग आर्थिक विभाग लैटर लैटर

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
 - ** ऐसे ग्रामों में जहां मूल्य का सही-सही निधारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य ज्ञात करना चाहिए।
 - *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी समिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्याह्न शास्त्रीय सेवक (आवश्यक) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह धोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे किसी समस्त अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़ते या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अनल सम्पत्ति के बारे में

शाकेमुण्डो—926—असामप्रवि—22-10-09—15,000.

ग्रामपत्री अ.एच.ओ.प.ल